12

मुफ़्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक के प्रति अध्यापकों का दृष्टिकोण एवं जागरुकता – एक अध्ययन

आर. एल. अंबेकर*

गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण करने हेतु मुफ्त एवं बाल शिक्षा अधिकार विधेयक को कार्यान्वित किया गया है। इस विधेयक के प्रत्यक्ष कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी जिन समाज घटकों पर है, उन समाज घटकों का इस विधेयक के प्रति दृष्टिकोण एवं जागरुकता इस विधेयक के प्रभावी कार्यान्वयन एवं गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण प्रतीत होता है।

शिक्षा मानवीय विकास का महत्त्वपूर्ण आधार है, व्यक्ति को पूर्णत्व प्रदत्त करने में शिक्षा निरंतर योगदान दे रही है। स्वतंत्रतापूर्व काल में देखा जाए तो शिक्षा सभी व्यक्तियों के लिए कभी नहीं थी। विशिष्ट व्यक्ति, जाति, लिंग एवं वर्ग के लोगों तक ही वह सीमित रही है। जिससे की भारतवर्ष की बड़ी मानवीय शक्ति इस शिक्षा के प्रवाह से बह रही है। जिसके काफ़ी परिणाम हम आज भी देख रहे है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय संविधान में शिक्षा अधिकार के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, लेकिन जो वर्ग शिक्षा की मुख्य धारा से बाहर था तथा जिसे अपने इस अधिकार की प्रति काफ़ी समय तक पता नही था। धीमी गति से उनकी जागरुकता में परिवर्तन निरंतर होता रहा है। जिसके परिणामस्वरूप वंचित समूह के कुछ बच्चे शिक्षा के मुख्य प्रवाह में आने लगे। लेकिन अधिकांश समुदाय के व्यक्ति अपनी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पिछड़ेपन के कारण शिक्षा के मुख्य प्रवाह में सम्मिलित नहीं हो पाए, शिक्षा प्राप्त करने में अपेक्षित संरक्षण उन्हें प्राप्त नहीं हो सका। जिस समुदाय के लोगों कि आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति ठीक रही वह अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में होने वाला अपेक्षित व्यय कर सकते थे। जिससे कि शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण सार्वत्रिकीकरण नहीं हो पाया। विविध व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्या के कारण

* *प्राचार्य,* जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, अकोला 444002, महाराष्ट्र

या तो वे शिक्षा प्राप्त ही नहीं करते या प्रारंभिक शिक्षा पूरी होनें के पहले ही उसे छोड़ देते हैं।

तात्पर्य गुणवत्ता प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण करने हेतु एवं देश के प्रत्येक बालक को जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष की है, शिक्षा प्राप्त करने का हकदार होगा और यह प्रारंभिक शिक्षा सभी जाति, वर्ग, लिंग के व्यक्ति को समानता के आधार पर नि:शुल्क एवं अनिवार्य रूप से प्रदान कि जाएगी। इस संबंध में किए गए विधेयक में काफ़ी समय से कार्य चलता आया एवं उसको 2009 को शिक्षा अधिकार विधेयक के नाम से पारित किया गया है। इस कार्य हेतु विविध समाज घटकों का दायित्व उत्तरदायित्व निर्धारित करके अप्रैल 2010 से राज्य में इस अधिनियम को कार्यन्वित किया गया है। इस विधेयक से विविध समुदाय के बालक-बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार इससे प्राप्त हुआ है। लेकिन इसका कार्यान्वयन जिन पर आधारित है वह अध्यापक, अभिभावक, पाठशाला के व्यवस्थापक आदि महत्वपूर्ण घटकों की इस विधेयक के प्रति क्या जागरुकता है? उनका क्या दृष्टिकोण है? इसमें हुए परिवर्तन पर ही इस शिक्षा विधेयक की यशस्वीता आधारित है। तथा इस विधेयक में प्रारंभिक शिक्षा के प्रति विविध प्रावधान किए गए है इन प्रावधानों के प्रति विविध समाज घटकों कि क्या राय है यह भी जानना ज़रुरी है। यदि विविध समाज घटकों की जागरुकता तथा दृष्टिकोण इस विधेयक के प्रति सकारात्मक है तो इससे निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति होने में काफ़ी मदद मिलेगी तथा इस विधेयक की प्रभावशीलता को प्रोत्साहित करना सहज साध्य होगा। तथा इस विधेयक में विविध प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में निर्धारण तो किया है लेकिन प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्र पर इन निर्धारित प्रावधानों का प्रत्यक्ष कार्यान्वयन क्या है इसके संबंध में भी जानना आवश्यक है। आदि तत्त्वों के बारे में पता करने हेतु तथा इस अधिकार विधेयक की प्रभावशीलता को गतिमान करने हेतु मुफ़्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण बालकों की शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण करने हेतु प्रस्तुत शोध कार्य करना महत्त्वपूर्ण है।

शोध की आवश्यकता – मुफ़्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार प्रत्यक्ष कार्यान्वयन हो रहा है। उस विधेयक कि प्रत्यक्ष कार्यान्वयन कि प्रभावकारिता विविध समाज घटकों पर आधारित है। यदि विविध निर्धारित समाज घटकों में इस विधेयक के प्रति जागरुकता तथा उनका दृष्टिकोण सही नहीं है तो इस विधेयक का सही कार्यान्वयन होने में कठिनाई होगी तथा इस विधेयक में जो प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों का प्रत्यक्ष कार्यान्वयन किस प्रकार हो रहा है इसको भी जानना ज़रुरी है। जिससे यह अधिनियम कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयाँ पता करके इसको दूर करने में मदद मिले। इसके अलावा विविध समाज घटक जिनकी इस विधेयक कि यशस्वीता में महत्वपूर्ण भूमिका है वह अपनी इस भूमिका से पूर्णत: परिचित होकर कार्य कर रहें हैं या नहीं। इसके साथ ही प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्र पर इस विधेयक में निर्धारित किए गए प्रावधानों के अनुसार प्रत्यक्ष कार्यान्वयन हो रहा है या

नहीं। इसमें क्या कठिनाइयाँ आ रही है इसका पता करके उसे दूर कैसे किया जा सकता जिससे कि मुफ्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके एवं समता एवं समानता पर आधारित गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीरण किया जा सके। इसलिए प्रस्तुत शोध कार्य करना आवश्यक है।

शोध की सीमा एवं सीमांकन – प्रस्तुत शोध कार्य कि कार्य की सीमा एवं सीमांकन निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया है –

1. प्रस्तुत शोध कार्य केवल महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले में स्थित पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों तक ही सीमित है, अन्य को प्रस्तुत शोध में ध्यान में नहीं लिया गया है।
2. निर्धारित कार्यक्षेत्र में कार्यरत प्राइवेट या निजी तथा अँग्रेज़ी माध्यम के प्राइवेट विद्यालयों को सम्मिलित नहीं किया गया है।
3. प्रस्तुत अध्ययन केवल मुफ़्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक के संबंध में है अन्य शिक्षा योजना का अध्ययन इसमें नहीं किया गया।
4. प्रस्तुत शोध कार्य में केवल अध्यापकों का मुफ़्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक के प्रति दृष्टिकोण एवं जागरुकता का अध्ययन किया गया है।

शोध के मुख्य उद्देश्य – प्रस्तुत शोध कार्य हेतु निम्न उद्देश्य निर्धारित किया गया है। मुफ़्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक 2009 के प्रति अध्यापकों के दृष्टिकोण एवं जागरुकता का अध्ययन करना।

शोध प्रश्न – प्रस्तुत शोध कार्य के लिए निम्न उद्देश्यों का निर्धारण किया जायेगा—

1. मुफ़्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक के प्रति अध्यापकों का दृष्टिकोण क्या है?
2. मुफ़्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक के प्रति अध्यापकों का दृष्टिकोण एवं जागरुकता में क्या है?

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध कार्य के लिए सर्वेक्षण प्रणाली का प्रयोग किया गया है।

प्रतिदर्श का निर्धारण – प्रस्तुत शोध कार्य हेतु प्रतिदर्श का निर्धारण सामान्य संभावना पर आधारित यादृच्छिक प्रविधि कि सहायता से किया गया है। जिसमें अकोला जिले में स्थित जिला पंचायतों के 20 विद्यालयों का यादृच्छिक प्रतिचयन प्रविधि की सहायता से किया गया। इन विद्यालयों में कार्यरत कुल अध्यापक-अध्यापिकाओं में से 5 अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं को प्रस्तुत शोध कार्य हेतु चयनित किया गया है। इस प्रकार 20 स्कूल में से 100 अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं का चयन प्रस्तुत शोध कार्य हेतु किया गया है।

संमको का संकलन – मुफ़्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक के प्रति अध्यापकों का दृष्टिकोण एवं जागरुकता के संबंध संमको का संकलन करने हेतु इस बाल शिक्षा अधिकार

विधेयक के आधार पर अध्यापकों के लिए अभिवृत्ति मापनी तथा जागरुकता मापनी को विकसित किया गया तथा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत ज्ञातव्य अध्यापकों से इन उपकरणों का प्रकाणीकरण किया गया। तत्पश्चात् स्पिअरम के अंतर विधि प्रविधि द्वारा इसका 14 दिन के अंतराल में प्रत्यक्ष कार्यान्वयन किया गया जिसका सहसंबंध गुणांक 0.86 आया। तत्पश्चात् निर्धारित प्रतिदर्श पर इस मापनी का प्रयोग करके शोध विषय के संबंध में संमको का संकलन किया गया है।

शोध में प्रयुक्त चर —

1. अध्यापक

आश्रित चर

1. जागरुकता
2. दृष्टिकोण

संमकों का विश्लेषण — प्रस्तुत अभिवृत्ति मापनी एवं जागरुकता मापनी कि सहायता से प्राप्त संमको का विश्लेषण करने हेतू प्राचल सांख्यिकीय प्रविधि का प्रयोग किया गया है। जिसमें मध्यमान, प्रमाण विचलन, सहसंबंध, टी परीक्षण आदि प्रविधियों का प्रयोग किया गया है एवं परिकल्पना तथा शोध प्रश्नों का विश्लेषण करके अंतिम निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। इसका विश्लेषण निम्न प्रकार से है —

(क) मुफ़्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक 2009 के प्रति अध्यापकों वेः दृष्टिकोण एवं जागरुकता में सार्थक अंतर

चर	संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन
दृष्टिकोण	100	40.50	10.44
जागरुकता	100	36.14	9.50

सहसंबंध	प्रमाणिक त्रुटि	मुक्तांश	टी मुल्य	सार्थकता
.80	.64	99	6.85	सार्थक अहे.

प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट होता है कि, 0.01 सार्थकता स्तर पर शून्य परिकल्पना को निरस्त करते हुए कहा जाता है कि, मुफ़्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक 2009 के प्रति अध्यापकों के दृष्टिकोण एवं जागरूकता में सार्थक अंतर है। इसका अर्थ यह है कि, मुफ़्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के प्रति अध्यापकों का दृष्टिकोण जागरुकता कि अपेक्षा अधिक अनुकूल है। तथा अध्यापकों की जागरुकता एवं दृष्टिकोण में उच्च सहसंबद्ध प्रस्थापित है।

(ख) मुफ़्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक 2009 के प्रति अध्यापकों वेः दृष्टिकोण एवं जागरुकता में स्तरनिहाय सार्थक अंतर नहीं है।

दृष्टिकोण ↓ जागरुकता →	उच्च M/49.61
उच्च M/52.35	r/.35t/3.75**
औसत M/41.26	r/.30t/11.41**
निम्न M/27.33	r/.27t/27.02**

औसत	निम्न M/49.61
उच्च r/.29t/21.47**	r/.08 t/ 29.81**
औसत r/.21t/6.53**	r/.09 t/ 17.92**
निम्न r/.19 t/12.94**	r/.22 t/ 1.91**

निष्कर्ष — प्रस्तुत विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि, मुफ़्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक के प्रति अध्यापकों का दृष्टिकोण एवं जागरुकता में सार्थक अंतर पाया गया। जिसमें दृष्टिकोण कि प्रवृत्ति एवं अभिवृत्ति उच्च होने पर कार्यन्वयन पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। प्राप्त निष्कर्ष इस विचाराधारा के विरूद्ध है। लेकिन जब विविध स्तर के आधार पर दृष्टिकोण एवं जागरुकता की जाँच कि गई तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि, अध्यापकों की विधेयक के प्रति उच्च दृष्टिकोण एवं उच्च जागरुकता में सार्थक पाया गया जिसमें दृष्टिकोण का मध्यमान जागरुकता कि अपेक्षा उच्च है। तथा सहसंबद्ध निम्न प्रति का है। निम्न दृष्टिकोण एवं निम्न जागरुकता के मध्य सार्थक अंतर नहीं पाया गया। इस विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि, अध्यापकों का मुफ़्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक के प्रति दृष्टिकोण एवं जागरुकता में सार्थक अंतर है, तथा इसके मध्य निम्न प्रति का सहसंबद्ध पाया गया है।

सुझाव — प्रस्तुत निष्कर्ष के आधार पर अध्यापकों को बाल शिक्षा अधिकार विधेयक में दिए गए विविध तत्त्वों तथा प्रावधानों का प्रशिक्षण जिला स्तर पर देना आवश्यक है। जिससे कि अध्यापकों को इस विधेयक के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधानों के संबंध में जानकारी होगी। तथा जानकारी प्रभावी रूप से होने पर इस विधेयक के प्रति अध्यापक अपना दायित्व, जवाबदेही प्रभावी रूप से निभा सकेंगे। अध्यापक स्वयं इस विधेयक के प्रति जागरुक रहें। जिससे की इसका कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से होने में मदद होगी। तथा अपेक्षित बाल शिक्षा अधिकार विधेयक में निहीत उद्देश्यों की पूर्ति होगी। जब तक इस बाल शिक्षा अधिकार विधेयक के प्रति शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विविध समाज घटकों की जागरुकता में वृद्धि नहीं होती, उनके दृष्टिकोण में अनुकूल बदलाव नही होगा। और यदि अनुकूल बदलाव दृष्टिकोण में नहीं हुआ तो, इसका प्रभावी कार्यान्वयन नहीं हो सकता। अत: आवश्यक है कि, बाल शिक्षा अधिकार विधेयक में निहित तत्त्वों के प्रति जागरुकता को बढ़ाने हेतु सक्रिय कदम उठाने कि आवश्यकता है।

भावी शोध हेतु दिशा — प्रस्तुत शोध कार्य से संबंधित शोध कार्य कि दिशा को निम्न प्रकार से दर्शाया गया है -

1. मुफ़्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक के प्रति शाला व्यवस्थापकों का दृष्टिकोण एवं जागरुकता का अध्ययन।
2. मुफ़्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक का प्रत्यक्ष स्कूलों में कार्यान्वयन।
3. व्यावसायिक विकास का मुफ़्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक के कार्यान्वयन पर प्रभाव का अध्ययन।
4. मुफ़्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक में निर्धारित तत्त्वों का विविध स्कूलों में कार्यान्वयन कि फलसृति का अध्ययन।

संदर्भ ग्रंथ —

- बुच एम.वी. (1992) *फिफ्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन*, नयी दिल्ली, एन. सी.ई.आर.टी. वाल्यूम 2

- कौल, लोकेश (2004) *शैक्षिक अनुसंधान*, नयी दिल्ली, विकास पब्लिकेशन हाउस प्रा.लि।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (1966) *भारतीय शिक्षा आयोग*, नयी दिल्ली– शिक्षा विभाग भारत सरकार।
- *मॉडल रूल्स अंडर राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट* 2009।
- राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (2000) *भारतीय शिक्षा पत्रिका*, मध्य प्रदेश– आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग।
- *द राइट ऑफ चिल्ड्रेन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट– प्रोग्रेस एज़ ऑन* 1 अप्रैल 2011 ।
- *द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन*, बिल नं. एल एक्स वी ऑफ 2008, टू इंट्रोड्यूज़्ड इन राज्य सभा।

❑❑❑